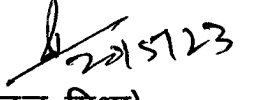


आदेश

मुख्य आरक्षी (वर्तमान में उप निरीक्षक) ना0पु0/892762941 ओम प्रकाश सिंह को उनके स्वयं के अनुरोध पर अनुकम्पा के आधार पर वाणिज्य कर विभाग की प्रतिनियुक्ति से मूल गहन जनपद गाजीपुर वापस किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(अनुकम्पा)-259/2023 दिनांक 20.05.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

DGP HQRS UP LKW
111111 111111 111111 111111 111111 111111
DG-IV-STHA/259/2023/515 DT 20-05-2023


(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था0-(259)/2023/515

दिनांक:मई 20, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके उनके कार्यालय के पत्र संख्या: अप0 आयु0(पुलिस)-उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह/पुलिसकर्म/2023-24/04/राज्य कर दिनांक 05.04.2023 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि उक्त कर्म को तत्काल इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, ताकि उसके मूल गहन जनपद गाजीपुर हेतु वापस किया जा सकें।
2. पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजीपुर।
3. प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।